न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 23/2022

बउनवान

चन्द्रप्रकाश उम्र 45 साल पुत्र श्री कन्हैयालाल, जाति मीणा, निवासी मालबमोरी, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां (राज0)
2. नन्दकिशोर पुत्र श्री मांग्या, जाति मीणा, निवासी रामपुरा भगतान, तहसील मांगरोल, हाल निवासी वार्ड नं. 3 बाबाजी राज के बाग के पास मांगरोल, जिला बारां (राज0)

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 163 आदेश दिनांक 26.04.1999
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री कमलदीप सिंह हाडा एडवोकेट **(अपीलांट)**
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी एडवोकेट **(रेंस्पो. कम 2)**

निर्णय दिनांक 18.04.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नंबर 2 नन्दकिशोर द्वारा एक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट बउनवान नन्दकिशोर बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 132/99 न्यायालय जिला कलक्टर, बारा में पेश की गई। न्यायालय द्वारा तहसीलदार मांगरोल से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाकर दिनांक 17.03.1999 को पारित करते हुए आदेश दिया गया कि " ग्राम रामपुरा भगतान की आराजी खसरा नंबर 389 रकबा 0.59 है0 वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण नं. 2 की आराजी खसरा नंबर 390 रकबा 3.76 है. में से 0.27 है. कमी की जाकर शामिल की जावें। इसी अनुसार अमल राजस्व रिकॉर्ड किया जावे। " प्रतिवादी कम 2 मूर्ति मंदिर सीताराम जी विराजमान है, जो कि पूर्व कार्यवारी धारा 136 आर.एल.आर एक्ट में अप्रार्थी कम 2 थे। निर्णय दिनांक 17.03.1999 की पालना में रेस्पोडेन्ट कम 1 ने इन्तकाल नंबर 163 ग्राम रामपुरा भगतान तस्दीक किया लेकिन उक्त इंतकाल नंबर 163 निर्णय अनुसार तस्दीक नही करते हुए अपीलान्ट के कब्जे काश्त की व खाते की आराजी खसरा नंबर 509 रकबा 0.89 है. वाके रामपुरा भगतान में से 0.12 है. आराजी पूरी कर दी गई। जबकि निर्णयानुसार मूर्ति मंदिर सीताराम जी विराजमान रामपुरा भगतान के खाते की आराजी खसरा नंबर 390 रकबा 3.76 है. में से 0.27 है. भूमि कम करनी थी। अतः अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 163 दिनांक 26.04.1999 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार मांगरोल को निर्देश दिया जावे कि अपीलान्ट का [illegible] है. पुनः खसरा नंबर 509 रकबा 0.77 है. में जोड़ा जाकर पूरा किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:05 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश [illegible] दर्ज रजिस्टर की [illegible] रेस्पोडेन्टगण को तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का [illegible]र्ड तलब किया गया। [illegible]न्ट्स कम 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में विचाराधीन बउनवान नन्दकिशोर बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 132/99 निर्णय दिनांक 17.03.1999 अनुसार ग्राम रामपुरा भगतान की आराजी खसरा नंबर 389 रकबा 0.59 है0 वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादी नं. 2 (मूर्ति मंदिर सीताराम जी विराजमान) की आराजी खसरा नंबर 390 रकबा 3.76 है. में से 0.27 है. कमी की जाकर शामिल की जावें। निर्णय की पालना में रेस्पोडेन्ट कम 1 ने इन्तकाल नंबर 163 ग्राम रामपुरा भगतान तस्दीक किया लेकिन उक्त इंतकाल नंबर 163 निर्णय अनुसार तस्दीक नही करते हुए अपीलान्ट के कब्जे काश्त व खाते की आराजी खसरा नंबर 509 रकबा 0.89 है. वाके रामपुरा भगतान में से 0.12 है. आराजी कम करते हुये पूरी कर दी गई। जबकि निर्णयानुसार मूर्ति मंदिर सीताम जी विराजमान रामपुरा भगतान के खाते की आराजी खसरा नंबर 390 रकबा 3.76 है. में से 0.27 है. भूमि कम करनी थी। अतः अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 163 दिनांक 26.04.1999 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार मांगरोल को निर्देश दिया जावे कि अपीलान्ट का कमी किया गया रकबा 0.12 है. पुनः खसरा नंबर 509 रकबा 0.77 है. में जोड़ा जाकर पूरा किया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 133/99 बउनवान नन्दकिशोर, श्रीमति केला मीणा बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 17.03.1999 अनुसार तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय की अपील नही की तथा प्रकरण संख्या 133/99 निर्णय दिनांक 17.03.1999 में पारित आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की है। अतः अपील निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

प्रकरण संख्या 132/99 में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा नन्दकिशोर वादीगण की आराजी खसरा नंबर 389 रकबा 0.59 है. में प्रतिवादी कम 2 मूर्ति मंदिर सीताराम जी विराजमान की खाते की आराजी खसरा नंबर 390 रकबा 3.76 है. मे से 0.27 है. कम की जाकर शामिल करने का आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत नामान्तकरण प्रकरण संख्या 133/99 के आधार पर दर्ज किया गया है। तथा अपीलांट द्वारा प्रकरण संख्या 132/99 के आधार पर नामांतकरण दर्ज करने की प्रार्थना की गयी है। जबकि प्रकरण संख्या 133/99 के आधार पर नामांतकरण दर्ज किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि होना नही पाया जाता। न्यायालय जिला कलक्टर बारां के प्रकरण संख्या 133/99 में पारित निर्णय दिनांक 17.03.1999 की अपील भी [illegible] न्यायालय में अपीलांट द्वारा की जानी नही पायी जाती है। परिणामस्वरूप अपील [illegible] जाती है।

अतः अपील [illegible] से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2[illegible]3 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:05 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)